प्रारुप–52

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र. स.	कार्य का नाम	इकाई / संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)	PWD SOR Item No.
			ल0	चौ0	ऊ0					
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना	1	1.00	0.50	0.70	**0.35**	घन मी0	244.80	**85.68**	75476 16-1
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	1	–	–	–	1Job	L.S.	500.00	**500.00**	L.S.
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	1	1.00	0.50	0.10	0.05	घन मी0	6653.10	**1064.50**	75285 11-4-3-1
			0.30	0.30	1.30	0.11				
					योग–	**0.16**				
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना	01	0.16×78-50×1%			**0.12**	कुन्तल	6394.76	**767.37**	75301 11-7
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	4	0.30	–	1.20	1.44	वर्ग मी0	134.10	**205.17**	75168 8-5-5
		1	0.30	0.30	–	0.09				
					योग–	**1.53**				
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	1	–	–	–	–	L.S.	500.00	**500.00**	L.S.
8	पानी की ढुलाई आदि/आकस्मिक	1	–	–	–	–	L.S.	500.00	**500.00**	L.S.
	कुल योग							**योग–**	**3622.22**	
								अथवा	**3622.00**	

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नई टिहरी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नई टिहरी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नई टिहरी।

वन क्षेत्राधिकारी
सम्बगाव वन राजि
टिहरी वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
घोलाल राजि
टिहरी वन प्रभाग

<u>परियोजना का नाम</u> :— जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली आरक्षित वन भूमि से दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि., नई टिहरी ।	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि. नई टिहरी ।	24/12 अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि नई टिहरी ।

<u>परियोजना का नाम</u> :– **जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण।**

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता **प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि.,** **नई टिहरी ।**	**सहायक अभियन्ता** **प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि.** **नई टिहरी ।**	**अधिशासी अभियन्ता** **प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि** **नई टिहरी ।**

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण।

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है / नहीं है।

राजि0 अधिकारी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
नई टिहरी (बौराड़ी)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
धौलाल राजि
टिहरी वन प्रभाग

पटवारी

तहसीलदार
प्रतापनगर

उप जिलाधिकारी
प्रतापनगर
टिहरी गढ़वाल

जिलाधिकारी

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण।

विस्फोटक उपयोग न किये जाने का प्रमाण–पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित होनी है। इस भूमि पर मार्ग निर्माण अवधि में विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मशीनों व श्रमिकों द्वारा पहाड़ कटान कार्य किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
नई टिहरी

फार्म –"क"

जिला सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. (i)	परियोजना विवरण अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना स्कीम का संक्षिप्त विवरण–	जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क का निर्माण।
(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं का दर्शाने वाला मैप–	संलग्न है ।
(iii)	परियोजना की लागत–	रुपये 122.47 लाख।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने औचित्य–	अन्य उपयुक्त संरेखण उपलब्ध न होने के कारण
(v)	रोजगार लाभ विश्लेषण– (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की की सम्भावना है।–	सड़क निर्माण में मानव श्रम के रुप में
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्वेश्यवार विवरण–	जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क का निर्माण।

निम्न वर्गीक़रण भूमि की आवश्यकता है।

1– आरक्षित वन भूमि	–	1.925 है0
2– सिविल बंजर भूमि	–	0.00 है0
3– नाप भूमि	–	3.605 है0

क्रमशः – 2 पर

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है– लागू नहीं।

   (i) परिवारो की संख्या– लागू नहीं ।

   (ii) अनु0जाति / जन जाति के परिवारों की संख्या– लागू नहीं ।

   (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)– लागू नहीं ।

4. क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ / नहीं)– हॉ / नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ जिला सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचन बद्वता (वचनबद्वता संलग्न की जाए)– संलग्न है

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा संलग्न है।

हस्ताक्षर

(इं0 जगमोहन सिंह चौहान) 24/2
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
नईटिहरी ।

तिथि 24-02-2015

स्थान नई टिहरी

प्रस्ताव की राजस्व क्रम सं0..........

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग–II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की जिला क्रम संख्या ——————

7–परियोजना/स्कीम का स्थान– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क का निर्माण।

(i) जिला/संघ शासित क्षेत्र– उत्तराखण्ड

(ii) जिला– टिहरी गढ़वाल

(iii) वन प्रभाग– टिहरी वन प्रभाग

(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र– 1.925 है०

(v) वन की कानूनी स्थिति– आरक्षित वन भूमि

(vi) हरियाली का घनत्व– ....

(vii) प्रजाति–वार(वैज्ञानिक का नाम) और परिधि/श्रेणी वार वृक्षो (संलग्न की जाय)सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बंध में एफ0आर0 एल0–2मीटर परिगणना और एफ0आर0 एल0 4 मीटर भी संलग्न किए जाए।– ....

(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी– ....

(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी– ....

(X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्य जीव अभयारण,जैवमण्डल, रिर्जव बाघ रिर्जव, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हॉं, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियॉं अनुबंधित की जाए)– ....

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉं पाई जाती है। यदि हॉं/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।– ....

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्व स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉं तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारण से अनापत्ति प्रमाण के साथ यदि अपेक्षित हो दें।– ....

क्रमशः– 2 पर

8 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरि और न्यूनतम है यदि नहीं,तो जाचें गए विकल्पें के ब्यौरों

के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है– ....

9 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है,(हॉं/नहीं)यदि हॉं तो कार्य की अवधि, अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें, क्या उल्लंघन सम्बंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।–

....

10–प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा:–

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभि निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार– ....

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभि निर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास सीमाओं का दर्शाता मैप– ....

(iii) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन समय अनुसूचि लागत ढॉचा आदि– ....

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय– ....

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बार मे और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)–

....

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषत: उपर्युक्त कालम–7 (xi,xii) 8 और में पूछे गये तथ्यों का दर्शाते हुए (संलग्न करें)– ....

12– विभाग/जिला प्रोफाइल:–

(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र– ....

(ii) जिले का वन क्षेत्र– ....

(iii) मामलों की संख्या सहिजत 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र– ....

क्रमश :– 3 पर

135

(iv) 1980 जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण– ....

(क) दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण– ....

(ख) वनेत्तर भूमि पर– ....

(v) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर– ....

(ख) वनेत्तर भूमि पर– ....

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बंध में उप वन संरक्षक की विशेष रिर्पोट। – ....

वन क्षेत्राधिकारी
लम्बगाव वन राजि
टिहरी वन प्रभाग

वन क्षेत्र अधिकारी
पौखाल राजि
टिहरी वन प्रभाग

दिनांक–.....................................
स्थान–...

हस्ताक्षर
नाम–
प्रभागीय वनाधिकारी

भाग–III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। ....

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। ....

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। ....

हस्ताक्षर–

तिथि..................................

स्थान..................................

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए जिला वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय) ....

हस्ताक्षर–

तिथि..................................

स्थान..................................

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा जिला सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18– जिला सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग–II या भाग–III या भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए) ....

हस्ताक्षर–

तिथि....................................
स्थान..................................

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण।

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत तेलुंगा (माजफ) से घोलडानी तक सड़क निर्माण परियोजना से सम्बन्धित कोई अन्य सूचना नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि., नई टिहरी ।	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि. नई टिहरी ।	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि नई टिहरी ।